प्रेस विज्ञप्ति

19.02.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), रांची जोनल कार्यालय ने प्रमोद कुमार सिंह को 18.02.2025 को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) निधियों के दुरुपयोग और आय से अधिक संपत्ति के संचय के संबंध में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया है।

ईडी ने एसीबी धनबाद द्वारा प्रमोद कुमार सिंह और अन्य के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 और आईपीसी, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। प्रमोद कुमार सिंह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी), झरिया सह जोडापोखर, धनबाद में अनुबंध के आधार पर ब्लॉक अकाउंट मैनेजर के रूप में कार्यरत थे।

ईडी की जांच से पता चला कि प्रमोद कुमार सिंह ने प्रभारी चिकित्सा अधिकारी स्वर्गीय शशि भूषण प्रसाद के साथ मिलकर जिला स्वास्थ्य सोसाइटी द्वारा पीएचसी झरिया सह जोडापोखर को एनआरएचएम के तहत आवंटित 9.39 करोड़ रुपये (लगभग) की सरकारी धनराशि का दुरुपयोग करने के लिए अपने आधिकारिक पदों का दुरुपयोग किया। फंड को दो आधिकारिक पीएचसी बैंक खातों और पीएचसी मैनेजमेंट सोसाइटी के एक बैंक खाते से प्रमोद कुमार सिंह, उनके परिवार के सदस्यों और सहयोगियों के व्यक्तिगत बैंक खातों में अवैध रूप से स्थानांतरित किया गया था। ईडी की जांच में आगे पता चला कि प्रमोद कुमार सिंह ने अपराध की आय का उपयोग करके अपने नाम पर कई चल और अचल संपत्तियों को अर्जित किया, साथ ही साथ अपनी पत्नी प्रिया सिंह और सहयोगियों के नाम पर, उन्हें छुपाया और बेदाग संपत्ति के रूप में पेश किया।

इससे पहले, ईडी ने छह तलाशी अभियान और एक सर्वेक्षण किया, जिससे आपत्तिजनक सबूत जब्त किए गए। तलाशी के दौरान, प्रमोद कुमार सिंह के आवासीय परिसर से चार हाई-एंड लक्जरी वाहन और 2.17 लाख रुपये की नकदी बरामद की गई, साथ ही बैंक खातों में कुल 4 लाख रुपये की शेष राशि जब्त की गई। इसके अतिरिक्त, प्रमोद कुमार सिंह की पत्नी प्रिया सिंह की 1.63 करोड़ रुपये (लगभग) की अचल संपत्ति झारखंड में 30.08.2024 को अस्थायी रूप से कुर्क की गई थी।

आगे की जांच प्रगति पर है।